न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ,चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – चावण्डदान चारण (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः टी.ए. 57/2021
पंजीयन दिनांकः 08.12.2021

रूपा पिता कालु जाति बलाई निवासी गेणिया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. बालुराम पिता छोगा जाति जाट निवासी सालेरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. रूकमा पिता छोगा जाति जाट निवासी सालेरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
3. माधवलाल पिता नगजीराम जाति चमार निवासी सालेरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
4. भूमिधारी तहसीलदार गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडन्टगण

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय एवं आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार प्रकरण संख्या 35/2020 प्रार्थना पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 21.10.2021

उपस्थित वक्त बहसः 1. छोगालाल जाट – अधिवक्ता अपीलान्ट
2. रतनलाल जाट – रेस्पोडेन्टगण–1 से 3
3. पूरणमल स्वर्णकार – राजकीय अभिभाषक रेस्पो–4

निर्णय **दिनांक 24.02.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा गेणिया तहसील गंगरार मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी नम्बर 813, 814, 815 कुल किता 3 कुल रकबा 1.41 हैक्टेयर दर्ज है। उक्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के खातेदारी व कब्जे काश्त की व रेस्पोडेन्ट 1 व 2 प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग की है जिस पर रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण काबिज है। उक्त आराजीयात के पूर्वी दिशा मे सरकारी भूमि से अपीलान्ट विपक्षी की आराजी नम्बर 770 रकबा 2.60 हैक्टेयर किस्म बीड के दक्षिण दिशा मे स्थित रास्ते से होकर रेस्पोडेन्ट सं. 3 की आराजी नम्बर 812 रकबा

0.65 हैक्टेयर के दक्षिण दिशा मे होकर रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण आराजी सं. 815 मे होते हुए अपनी अन्य आराजीयात मे आते–जाते है। रेस्पोडेन्टगण 1 व 2 प्रार्थीगण करीब 20 फीट चौडे रास्ते से अपनी आराजीयात मे प्रवेश करते है। उक्त रास्ता गाडी गडार नुमा होकर मौके पर चालु है जो रेस्पोडेन्ट 1 व 2 प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी नम्बर 815 मे आता–जाता है। रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण की आराजीयात व आम रास्ते के बीच मे अपीलान्ट विपक्षी की आराजीयात स्थित है जिस पर आने–जाने का रास्ता मौके पर 20 फीट चौडा होकर गाडी गडार का रास्ता है। उसी रास्ते से होकर रेस्पोडेन्टगण 1 व 2 प्रार्थीगण अपनी आराजीयात मे आते–जाते है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 व रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 का परिवार कई वर्षो से उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग कर रहे है। और अपने खेत पर हकाई, पिलाई, बुवाई, कटाई, रखवाली आदि कार्य करने के लिये इसी रास्ते से होकर आते–जाते है और रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण का हक व अधिकार इसी रास्ते पर है। इसके अलावा रेस्पोडेन्टगण 1 व 2 प्रार्थीगण का यह कथन रहा कि इस रास्ते के अलावा रेस्पोडेन्टगण 1 व 2 प्रार्थीगण की आराजीयात पर आने–जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। लेकिन रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण की आराजीयात पर आने–जाने का रास्ता राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी व नक्शे मे दर्ज नही होने का फायदा उठाकर विपक्षी अपीलान्ट ने जबरन अपनी ताकत के बल पर अवैध रूप से बिना किसी हक व अधिकार के रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से बन्द कर दिया और रेस्पोडेन्टगण के शांतिपूर्ण रास्ते के उपयोग उपभोग मे गैर कानूनी ढंग से विध्न डाल दिया जिसका अपीलान्ट विपक्षी को कोई हक व अधिकार नही है। जब रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने अपीलान्ट विपक्षी को रास्ते खोलने के लिये कहा तो अपीलान्ट विपक्षी को लडाई झगडा करने के लिये आमदा हो गये व धमकी देने लगे कि राजस्व रेकार्ड मे रास्ते दर्ज नही है। हम तुम्हे यहां से नही निकलने देगे। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 प्रार्थीगण के अपनी आराजीयात पर आने–जाने के लिये उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। केवल अपीलान्ट विपक्षी की आराजीयात मे होकर आना–जाना होता है। जिसका आदेश प्रदान कराया जावे।

उक्त आशय का प्रकरण अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत होने पर पंजीयन किया जाकर अपीलान्ट विपक्षी व रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अपीलान्ट विपक्षी ने अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 11.01.2021 को जवाब प्रस्तुत किया व निवेदन किया कि विवादित आराजीयात पर मौके पर किसी प्रकार का रास्ता नही है। अपीलान्ट विपक्षी की ओर से दिनांक 23.03.2021 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजीयात के सम्बन्ध मे रेस्पोडेन्ट सं. 4 के यहां धारा 251 का प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत किया गया जो रेस्पोडेन्ट सं. 4 के द्वारा रास्ता नही होना मानते हुए खारीज हो चुका है जिससे प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नही होने से खारीज फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 प्रार्थीगण व अपीलान्ट विपक्षी की बहस सुनी जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट विपक्षी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना निरस्त किया गया उसके पश्चात् अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने मौजा गेणिया तहसील गंगरार की आराजी नम्बर 770 के सम्बन्ध मे मौका रिपोर्ट तलब की जाकर रेस्पोडेन्टगण 1 व 2 प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का आदेश पारित कर दिया।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 विपक्षीगण के विरूद्ध स्वीकार किया गया जिससे असंतुष्ट होकर अपीलान्ट विपक्षी की ओर से रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

अपीलान्ट विपक्षी की ओर से अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय द्वारा अपील पंजीबद्ध की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट विपक्षी का प्रार्थना पत्र गलत आधारो पर निरस्त किया है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने विवादित कृषि आराजीयात के सम्बन्ध मे जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई व कमिश्नर के द्वारा अपीलान्ट की अनुपस्थिति मे बनाई गई। यह भी निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 प्रार्थीगण ने विवादित रास्ते को लेकर रेस्पोडेन्ट सं. 4 के कार्यालय मे धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत किया गया जो अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 4 के द्वारा रास्ता नही होना मानते हुए निरस्त किया गया है। व अपील मे अपीलान्ट ने यह भी निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण मौजा गेणिया के निवासी नही होकर सालेरा के निवासी है। सालेरा से विवादित आराजीयात पर आने–जाने का सीधा रास्ता होते हुए रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण ने गलत आवेदन प्रस्तुत किया है। बहस मे यह भी निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 प्रार्थीगण ने विवादित रास्ते को लेकर पूर्व मे सिविल न्यायालय मे सिविल वाद प्रस्तुत किया गया जो प्रकरण सं. 27/2010 निर्णय दिनांक 03.09.2011 के निर्णय से रेस्पोडेन्टगण 1 व 2 के पक्ष मे डिक्री किया गया है जिसमे रास्ता चालु करवाया गया है। व रेस्पोडेन्ट ने उक्त निर्णय व डिक्री की पालना हेतु सिविल न्यायालय मे इजराय की कार्यवाही की गई है। उक्त इजराय की पालना कराई जाकर सिविल न्यायालय द्वारा इजराय नम्बर 2/2012 आदेश दिनांक 13.01.2015 से निर्णित की गई है। ऐसी स्थिति

मे रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेसज्युडिकेटा से भी प्रभावित होता है। जिससे भी रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होते हुए अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के पक्ष मे निर्णय पारित किया है जिसके विरूद्ध अपीलान्ट विपक्षी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 को अपनी आराजीयात पर पहूॅचने का रास्ता नही होने से रास्ता चाहने का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। जिसमे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने सभी पहलुओ को मध्य नजर रखते हुए विधि अनुसार कार्यवाही की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रमाणित होना मानते हुए अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। अपीलान्ट विपक्षी ने गलत तथ्यो को आधार बनाकर अपील प्रस्तुत की जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 4 ने अपनी बहस मे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश को विधिपूर्ण व वैधानिक प्रक्रियाओ की पालना करते हुए पारित होना बताते हुए अपीलान्ट विपक्षी की अपील निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की विधिपूर्ण बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट विपक्षी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का निरस्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मौका रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किये जाने का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे रेस्पोडेन्ट सं. 4 के कार्यालय मे चली कार्यवाही की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत है। जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 4 ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 के प्रार्थना पत्र को निरस्त किया है। व अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने तहसीलदार गंगरार से जो मौका रिपोर्ट तलब की गई है। उक्त रिपोर्ट पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक से तैयार करवाई गई है जबकि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट तहसीलदार से तलब की है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट की अनुपस्थिति मे तैयार की गई मौका रिपोर्ट अधिकृत अधिकारी के द्वारा तैयार किया जाना नही पाया जाता है। अपीलान्ट ने सिविल न्यायालय गंगरार प्रकरण सं. 27/2010 सी.ओ. निर्णय दिनांक 03.09.2011 व इजराय क्रमांक 2/2012 निर्णय दिनांक 13.01.2015 जो रास्ते को लेकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 3 के पक्ष मे पारित किया गया है। उक्त निर्णय व डिक्री का अधीनस्थ विद्धवान न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर क्या प्रभाव रहता है का विश्लेषण किये बगैर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व आदेश पारित किया जाना पाया जाता है जो संहवनीय होना प्रतीत नही होता है। जिससे अपीलान्ट विपक्षी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट विपक्षी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार प्रकरण संख्या 35/2020 निर्णय व आदेश दिनांक 21.10.2021 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त तथ्यो का विश्लेषण किया जाकर उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत नव निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय की पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लोटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार दाखिल दफ्तर हो।

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़